राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–72 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री दिलीप साह, पिता–स्व. नागेश्वर साह, ग्रा.–घीया, पो.–प्रशस्तडीह, जिला–भागलपुर–813205

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
30.08.2023	श्री दिलीप साह, पिता–स्व. नागेश्वर साह, ग्रा.–घीया, पो.–प्रशस्तडीह, जिला–भागलपुर–813205 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–शून्य इस कार्यालय में दिनांक–30.08.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलार्थी श्री दिलीप साह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–25.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री दिलीप साह उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–25.06.2023 की प्रति भी संलग्न है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रू 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अपीलार्थी श्री दिलीप साह से अपील शुल्क की मांग करें ताकि इसे अपील आवेदन को स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–21.09.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 30/8/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** –सह– **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

ज्ञापांक-1366/रा0स0(iii) दिनांक- 31-08-2023

प्रतिलिपि:-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री दिलीप साह, पिता-स्व. नागेश्वर साह, ग्रा.-घीया, पो.-प्रशस्तडीह, जिला-भागलपुर-813205 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या–72 (लो०सू०अ०) / 2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.09.2023	दिनांक-30.08.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्री दिलीप साह को उनके द्वारा मांगी गयी सूचना अपने पत्रांक-139 दिनांक-20.09.2023 के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक-30.08.2023 को पारित आदेश के क्रम में अपीलार्थी श्री साह से अपील शुल्क के रूप में रू 10/- (दस रूपए) अप्राप्त है। विदित हो कि बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रू 10/- (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अपीलार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना अपील आवेदन दिनांक-30.08.2023 के माध्यम से दायर किया तथा उन्हेंने अपने अपील आवेदन में यह उल्लिखित किया है कि लोक सूचना पदाधिकारी ने उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी है तथा जवाब अप्राप्त है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिया है तो इस अपील वाद में किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/9/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-1573/रा०स०(III) दिनांक-22-09-2023

प्रतिलिपिः-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री दिलीप साह, पिता स्व. नागेश्वर साह, ग्रा.-घीया, पो.-प्रशस्तडीह, जिला-भागलपुर-813205 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/9/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी